अनुबंध a

मुख्य तथ्य विवरण

दिनांक: **विनियमित इकाई का नाम** डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड **ऋण संदर्भ / आवेदन संख्या:**

आवेदक का नाम:

क्रमांक।	**पैरामीटर**	**विवरण**
1	ऋण का प्रकार और उद्देश्य ऋण का उपयोग केवल इस मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा: (ए) पूंजी बाजार में कोई भी निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।	[●]
2	स्वीकृत ऋण	
3	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में संवितरण अथवा 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
4	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)	[●] महीने
5	किस्त विवरण	
(ए)	किश्तों के प्रकार	
(बी)	ईपीआई की संख्या	
(सी)	ईपीआई (₹)	
(डी)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
6	**ब्याज दर** % **और प्रकार –** घटती शेष राशि पर निश्चित/अस्थायी	
(ए)	**निश्चित ब्याज दर** 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए मूल रूप से निश्चित ब्याज दर पर प्रदान किए गए स्वीकृत ऋण के मामले में, ऋणदाता को संवितरण की तिथि से 7 वर्ष की समाप्ति पर लागू ब्याज दर को अस्थिर ब्याज दर में बदलने का अधिकार होगा। 7 वर्ष पूरे होने से 90 (नब्बे) दिन पहले, डीएमआई उधारकर्ता को तत्कालीन प्रचलित अस्थिर ब्याज दर और लागू रूपांतरण शुल्क के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा और उधारकर्ता को बिना किसी पूर्व-समापन शुल्क के स्वीकृत ऋण का पूर्व भुगतान करने का विकल्प प्रदान करेगा। यदि उधारकर्ता 7 वर्ष की समाप्ति से पहले पूर्व भुगतान करने के ऐसे विकल्प का लाभ नहीं उठाता है, तो ऋणदाता को लागू ब्याज दर को अस्थिर ब्याज दर में बदलने का अधिकार होगा।	_____% **पीए**
(बी)	**अस्थायी ब्याज दर**	**बेंचमार्क दर:**

		फैलाना: **अंतिम दर: बेंचमार्क दर + स्प्रेड:**	
7	ऋण की पूरी अवधि के दौरान लिया गया कुल ब्याज (रुपये में)		
8	**शुल्क/प्रभार** , (यदि कोई हो) (प्रत्येक घटक का विवरण नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)		ए+बी+सी+डी
ए	प्रसंस्करण शुल्क (जीएसटी सहित), यदि कोई हो (रुपये में) (एकमुश्त)		
बी	बीमा (जीएसटी सहित) (रुपये में) (एकमुश्त)		
सी	कानूनी और मूल्यांकन (जीएसटी सहित) (रुपये में) (एक बार)		
डी	कोई अन्य शुल्क (जीएसटी सहित) (यदि कोई हो) (रुपये में) (एक बार)		
9	शुद्ध वितरित राशि (रुपये में)		
10	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)		
11	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर)** %		%
1 2	ऋण भुगतान का तरीका		जनादेश
आकस्मिक शुल्क के बारे में विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो) *			
1 3	देर से भुगतान शुल्क -		
1 4	पूर्व-बंदोबस्ती शुल्क – मूल रूप से निर्धारित ब्याज दर पर 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिए गए ऋणों के मामले में, यदि उधारकर्ता स्वीकृत ऋण के वितरण की तारीख से 7 वर्ष की समाप्ति पर डीएमआई द्वारा प्रस्तावित पूर्वभुगतान विकल्प के अनुसार स्वीकृत ऋण का पूर्वभुगतान कर देता है, तो कोई पूर्व-समापन शुल्क लागू नहीं होगा।		
15	फ्लोटिंग ब्याज से फिक्स्ड ब्याज या इसके विपरीत स्विच करने के लिए रूपांतरण शुल्क -		
1 6	**अतिदेय सी चार्जेस -**		
1 7	अन्य शुल्क (वैकल्पिक मोड/गैर-नच के लिए लागू) - 30 रुपये तक + जीएसटी		
18	एनएसीएच अस्वीकृति शुल्क – एनए		
19	एनएसीएच स्वैपिंग शुल्क		
20	**सुरक्षा के बारे में विवरण**		
(ए)	गारंटर का नाम और पता (यदि कोई हो)	नाम: पता: संविधान (व्यक्तिगत/कंपनी/साझेदारी/एकमात्र स्वामित्व/अन्य): व्यवसाय की प्रकृति:	
(बी)	बंधक संपत्ति का पता और विवरण	संपत्ति का पता: संपत्ति का विवरण: संपत्ति के मालिक का नाम: बंधक का प्रकार: समतुल्य बंधक	
(सी)	पोस्ट डेट चेकों की संख्या और राशि	संख्या: मात्रा:	
(डी)	मांग वचन पत्र	मात्रा:	
21	**डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**		
(ए)	डीएमआई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।		**[-] दिन**
(बी)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण		
(सी)	वसूली के अलावा ऋण संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले एलएसपी/सोर्सिंग पार्टनर/चैनल का नाम (अर्थात सोर्सिंग, मार्केटिंग आदि)		
22	ऋण समझौते का खंड / वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित सामान्य नियम और शर्तें		**खंड 17.2**
23	ऋण समझौते का खंड / सामान्य नियम और शर्तें जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देती हैं		**खंड 17.6**

2 4	क्या ऋण अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या भविष्य में किया जा सकता है - (हां/नहीं)	**हाँ**
25	**गोपनीयता नीति** - https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/	
2 6	**नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी** **शिकायत निवारण अधिकारी (उपभोक्ता ऋण)** नाम- आशीष सरीन पद- वरिष्ठ उपाध्यक्ष - ग्राहक सफलता ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ grievance@dmifinance.in पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9-10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 संपर्क नंबर: 011-41204444 **https://www.dmifinance.in/fair-practice/**	

*** आकस्मिक शुल्क कंपनी की नीति के आधार पर बदला जा सकता है ;**

यदि ऋण की अवधि के दौरान लिया गया कुल ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, शुद्ध वितरित राशि और देय कुल राशियाँ इस केएफएस की स्वीकृति/जारी होने की तिथि के बाद की हैं, तो इनमें परिवर्तन हो सकता है। इससे वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) डीएमआई की आंतरिक नीति के अनुसार सीमित होगी। अद्यतन केएफएस जारी किया जाएगा और स्वागत पत्र के साथ उधारकर्ता के साथ साझा किया जाएगा। डीएमआई के पास ऋण स्वीकृति को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है, यदि ऐसा कोई भी परिवर्तन डीएमआई की आंतरिक नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है ।

संवितरण विवरण (जिस खाते में संवितरण किया जाना है)

मात्रा		**बैंक का नाम**	
खाता धारक का नाम		**शाखा आईएफएससी**	
खाता नंबर।			

टिप्पणी

https://www.dmifinance.in/investor-relations/policies/ पर उपलब्ध डीएमआई की ब्याज दर और शुल्क नीति देखें।

स्वीकृति:

मैं/हम ("उधारकर्ता") इस मुख्य तथ्य विवरण की प्राप्ति की पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं और मेरी/हमारी स्वीकृति की पुष्टि करता/करती हूँ और बताता/बताती हूँ कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा प्रदान किया गया स्वीकृत ऋण सुविधा अनुबंध, इस मुख्य तथ्य विवरण, ऋण आवेदन सहित अनुलग्नकों और मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित या स्वीकृत ऋण के संबंध में डीएमआई द्वारा अपेक्षित किसी भी दस्तावेज, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, द्वारा शासित होगा ("वित्तपोषण दस्तावेज")।

मैं/हम वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम समझते हैं कि मेरी/हमारी स्वीकृति में शामिल होगा: (i) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और उनसे बिना शर्त बाध्य होने की मेरी/हमारी सहमति; और (ii) उधारकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि इस मुख्य तथ्य विवरण (अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को मेरे/हमारे द्वारा स्थानीय भाषा में या मेरे/हमारे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं/हम स्वीकृत ऋण का उपयोग इस मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूँगा/करूँगी और विशेष रूप से इसका उपयोग (क) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करूँगा/करूँगी, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ शामिल हैं (ख) किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयाँ और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ शामिल हैं या (ग) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है ।

अनुलग्नक बी

ऋण के लिए APR की गणना

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 3 - अनुलग्नक ए)	20,000
2	**ऋण अवधि (महीनों में) (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 5 - अनुलग्नक ए)**	24
ए)	गैर-समतुल्य आवधिक ऋणों के मामले में मूलधन के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या	-
बी)	(i) ईपीआई का प्रकार (उधारकर्ता की पुनर्भुगतान आवृत्ति) (ii) प्रत्येक ईएमआई/ईपीआई की राशि (रुपये में) और (iii) ईपीआई की संख्या (उदाहरणार्थ, मासिक किस्तों के मामले में ईएमआई की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट का सीरियल नंबर 5ए, 5बी और 5सी - अनुलग्नक ए)	महीने के 970 24
सी)	**पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो**	-
डी)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 5डी - अनुलग्नक ए)	दिन/माह/वर्ष
3	ब्याज दर का प्रकार (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 6 - अनुलग्नक ए)	घटती शेष राशि के आधार पर तय
4	ब्याज दर (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 6 - अनुलग्नक ए)	15 % प्रति वर्ष
5	ऋण की सम्पूर्ण अवधि के दौरान संवितरण तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 7 - अनुलग्नक ए)	3,274
6	देय शुल्क/प्रभार (रुपये में)	240
ए	डीएमआई को देय (केएफएस टेम्पलेट-अनुलग्नक ए का सीरियल नंबर 8ए, 8बी और 8सी)	240
बी	डीएमआई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	0
7	शुद्ध वितरित राशि (केएफएस टेम्पलेट -अनुलग्नक ए की क्रम संख्या 3-क्रम संख्या 8) (रुपये में)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (केएफएस टेम्पलेट-अनुलग्नक ए के सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 7 का योग) (रुपये में)	23,274
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 11-अनुलग्नक ए)	17.07%
10	नियम एवं शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	100% अग्रिम.
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की नियत तिथि	हर महीने की 5 तारीख को

• विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के अंतर्गत दी गई किश्तों के योग से गणना की गई पुनर्भुगतान राशि और ऊपर उल्लिखित राशि के बीच का अंतर (यदि कोई हो) विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के अंतर्गत किश्त राशि को पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है।

• एपीआर की गणना आईआरआर दृष्टिकोण और घटती शेष राशि पद्धति का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर की जाती है।
• इस ऋण सुविधा पर लागू शुल्क और कटौती आवेदन पत्र में उल्लिखित हैं और मुझे विधिवत समझा दी गई हैं।

अनुलग्नक सी

ऋण के लिए समान आवधिक किस्त के अंतर्गत पुनर्भुगतान अनुसूची

सुविधा समझौता

यह सुविधा समझौता (" **समझौता** ") अनुसूची I में निर्दिष्ट स्थान और दिनांक पर **डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** , कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैध रूप से विद्यमान और इसका दर्ज कराई कार्यालय पर अभिव्यक्त करना इमारत तीसरा ज़मीन, 9- 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली - 110002 (जिसे आगे **"डीएमआई/ऋणदाता" कहा जाएगा** , जिसका अर्थ है करेगा, जब तक यह हो प्रतिकूल को अर्थ या प्रसंग उसके, अर्थ और शामिल करना इसके उत्तराधिकारी और असाइन करता है)

और

वह व्यक्ति (व्यक्तियों) जिसका/जिनके नाम और पते अनुसूची I में दिए गए हैं (इसके बाद उन्हें " **उधारकर्ता** " कहा जाएगा , जो अभिव्यक्ति करेगा, जब तक यह हो प्रतिकूल को अर्थ या प्रसंग इसमें उसके/उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं। इस अनुबंध की प्रासंगिक स्थानीय भाषा में अनुवादित प्रति डीएमआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है और मांग करने पर मुझे/हमें भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

“उधारकर्ता(ओं)” और “डीएमआई” को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से “पक्ष” और सामूहिक रूप से “पक्ष” के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

1. परिभाषाएं

1.1. इस में समझौता, जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कुछ न हो, नीचे सूचीबद्ध अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

a. " **लागू ब्याज दर " का अर्थ है मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट निश्चित ब्याज दर या अस्थिर ब्याज दर और** इस समझौते की शर्तों के अनुसार डीएमआई द्वारा गणना की गई ।

b. " **बेंचमार्क दर** " का अर्थ डीएमआई फ्लोटिंग संदर्भ दर है जिसे डीएमआई द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

c. " **उधार लेने वाला"** "सह-उधारकर्ताओं" का अर्थ है मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट उधारकर्ता विवरण, जिसमें कोई भी उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती (जैसा लागू हो) शामिल होंगे। संदर्भ में आसानी के लिए, सह-उधारकर्ताओं को सामूहिक रूप से यहाँ 'उधारकर्ता' भी कहा जाएगा ।

d. " **कार्य दिवस** " का तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन दिल्ली में बैंक कारोबार के लिए खुले रहते हैं तथा इसमें ऐसे स्थानों पर कोई रविवार और सार्वजनिक अवकाश शामिल नहीं है।

e. " **रूपांतरण शुल्क** " का अर्थ है वह शुल्क (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है) जो डीएमआई द्वारा उधारकर्ता से लिया जाता है यदि उधारकर्ता फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर या इसके विपरीत स्विच करना चाहता है।

f. " **कूलिंग ऑफ पीरियड** " से तात्पर्य उस अवधि से है, जो प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है, तथा उधारकर्ता को वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने के लिए दी जाती है, यदि उधारकर्ता ऐसे ऋण को जारी न रखने का निर्णय लेता है।

g. " **क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी** " का तात्पर्य आरबीआई द्वारा अनुमोदित कोई भी क्रेडिट सूचना कंपनी है, जिसमें बिना किसी सीमा के ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफैक्स, सीआरआईएफ हाई मार्क और

एक्सपीरियन शामिल हैं।

h. " **बकाया** " का अर्थ है ऋणी(ओं) द्वारा डीएमआई को स्वीकृत ऋण के लिए समय-समय पर देय सभी राशियाँ, जिसमें ऋण की अदायगी के लिए देय मूल राशि, ब्याज, अतिदेय शुल्क, रूपांतरण शुल्क, फीस, लागत, बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार देय अन्य शुल्क और व्यय शामिल हैं।

i. किसी भी उधारकर्ता की देयताओं के संबंध में किसी भी भुगतान के संबंध में "**देय तिथि**" का अर्थ वह तिथि है जिस पर वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है।

j. " **भार** " का अर्थ होगा कोई भी (क) प्रभार, सेट-ऑफ या प्रतिदावे का अधिकार, सुरक्षा हित या अन्य भार, किसी भी प्रकार का सुरक्षा पत्र या व्यवस्था, (ख) खरीद या विकल्प समझौता या व्यवस्था, (ग) अधीनता समझौते या व्यवस्था, और (घ) पूर्वोक्त में से किसी को बनाने या प्रभावित करने के लिए समझौते।

k. " **ईपीआई** " का अर्थ पुनर्भुगतान की समतुल्य या निश्चित राशि है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों घटक शामिल हैं, जिसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए समय-समय पर निश्चित अंतरालों पर किया जाएगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में ऐसे ऋण की अवधि के भीतर स्वीकृत ऋण का परिशोधन हो जाएगा।

l. " **वित्तपोषण दस्तावेज़** " इसका अर्थ है और इसमें यह अनुबंध, अनुलग्नक, सुरक्षा दस्तावेज, ऋण आवेदन, मुख्य तथ्य विवरण और अन्य सभी अनुबंध, उपकरण, उपक्रम, अनुबंध, कार्य, लेख और अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जो उधारकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, समय-समय पर संशोधित इस अनुबंध और/या अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत या इसके द्वारा अपेक्षित लेनदेन के संबंध में निष्पादित या किए जाने वाले हैं।

m. " **स्थिर ब्याज दर** " का अर्थ मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित निश्चित वार्षिक ब्याज दर है।

n. " **फ्लोटिंग ब्याज दर** " का अर्थ बेंचमार्क दर और डीएमआई द्वारा तय किया गया स्प्रेड है, जो मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित है।

o. " **गारंटी** " का अर्थ है वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता(ओं) की देनदारियों का निर्वहन करने के लिए गारंटर (यदि कोई हो) द्वारा दी गई गारंटी (यदि कोई हो)।

p. " **गारंटर** " का अर्थ है वह व्यक्ति/व्यक्तियाँ जिसने गारंटी दी है/दी हैं। गारंटर हमेशा ऐसा व्यक्ति/व्यक्तियाँ होगा जो डीएमआई को गारंटर के रूप में स्वीकार्य हो।

q. " **ब्याज** " का अर्थ है, स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि पर लागू ब्याज दर पर और प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए तरीके से देय ब्याज, यदि कोई हो।

r. " **मुख्य तथ्य विवरण** " का अर्थ है ऋण के मुख्य तथ्यों और शर्तों का विवरण, सरल और समझने में आसान भाषा में, डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को समय-समय पर, लागू कानून के तहत निर्धारित मानकीकृत प्रारूप में प्रदान किया जाता है , जिसमें अन्य आवश्यक जानकारी के अलावा, वार्षिक प्रतिशत दर का विवरण, संग्रह एजेंसी का विवरण, यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि, आदि शामिल हैं।

s. " **विलंब भुगतान शुल्क " का अर्थ है पीडीसी या किसी अधिदेश के अनादर के कारण चूक की** स्थिति में उधारकर्ता द्वारा देय बाउंस शुल्क, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित है, ऐसे अनादर की प्रत्येक घटना के लिए ।

t. " **ऋण आवेदन** " का अर्थ डीएमआई से स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया आवेदन है ।

u. " **भौतिक प्रतिकूल प्रभाव " का अर्थ ऐसी कोई भी घटना है जिसका** (i) उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; या (ii) वित्तपोषण दस्तावेज़ों के अंतर्गत डीएमआई के अधिकारों और उपायों पर, जिसमें प्रतिभूति हित के मूल्य या प्राप्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव शामिल है; या (iii) उधारकर्ता की बकाया राशि की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डीएमआई द्वारा यह निर्णय कि किसी घटना को भौतिक प्रतिकूल प्रभाव माना जाना चाहिए या नहीं, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

v. **"अतिदेय शुल्क" का अर्थ संबंधित मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित दंडात्मक शुल्क है, जो उन सभी राशियों पर देय है जिनका भुगतान उनकी संबंधित देय तिथियों पर नहीं किया जाता है। ऋणदाता द्वारा अतिदेय शुल्कों को पूंजीकृत नहीं किया जाएगा, अर्थात, ऐसे अतिदेय शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।**

w. " **व्यक्ति** " इसका अर्थ है, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, कोई भी व्यक्ति (उसके पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन और भाई/बहन के पति/पत्नी सहित), निगम, साझेदारी,

व्यक्तियों का संघ, संयुक्त उद्यम, सोसायटी, कंपनी, ट्रस्ट या सरकारी प्राधिकरण या कोई अन्य कानूनी इकाई या साधन, जैसा कि संदर्भ में स्वीकार किया जा सकता है।

x. " **पोस्ट डेट चेक** " या " **पीडीसी** " का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए चेक, जिसमें ईपीआई या डीएमआई को किसी अन्य बकाया के भुगतान के लिए बिना तारीख वाले चेक शामिल हैं।

y. " **गोपनीयता नीति** " का अर्थ है डीएमआई की गोपनीयता नीति जो https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर उपलब्ध है।

z. " **संपत्ति** " का अर्थ डीएमआई के पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति(संपत्तियां) से होगा , जिसका विवरण मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है, जिसमें उसमें किए गए या हुए सुधार और संपत्ति से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ शामिल हैं।

aa. " **आरबीआई** " का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक से है।

bb. " **वसूली एजेंट** " का अर्थ है कोई तीसरा पक्ष या ऋणदाता द्वारा नियुक्त एजेंट जो चूक की घटना होने पर संपत्ति का कब्जा लेने में सहायता करता है।

cc. " **प्रासंगिक प्राधिकरण** " से तात्पर्य उपयुक्त प्राधिकरण से है, जो समय-समय पर संपत्ति के संबंध में किसी भी शुल्क/दृष्टिकोण और/या करों या समान शुल्कों के संग्रह के पंजीकरण और/या उपयोग के लिए प्राधिकरण और/या परमिट/लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने और/या पंजीकरण के लिए जिम्मेदार या प्रभारी होता है।

dd. " **स्वीकृत** " **ऋण** " का अर्थ है मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित ऋण सुविधा की राशि, जो वित्तपोषण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों पर डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को प्रदान की जाती है।

ee. " **सुरक्षा दस्तावेज़** " इसका अर्थ है किसी भी सुरक्षा प्रदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डीएमआई के लाभ के लिए प्रस्तुत, निष्पादित, वितरित या जमा किए गए सभी दस्तावेज, जो देय राशि (या उसके किसी भाग) को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में किसी भी सुरक्षा हित को बनाने या प्रभावी बनाने, पूर्ण करने और बनाए रखने के लिए और कोई अन्य दस्तावेज जिसे डीएमआई द्वारा लिखित रूप में सुरक्षा दस्तावेज के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

ff. " **सुरक्षा ब्याज** " में इस अनुबंध के खंड 6.1 में निर्धारित सुरक्षा और डीएमआई के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा बनाई गई या बनाई जाने वाली किसी भी प्रकार या प्रकृति की कोई भी सुरक्षा हित शामिल है , जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में उल्लेख किया गया है, जिसमें बंधक, प्रभार, ग्रहणाधिकार, या किसी भी परिसंपत्ति पर बकाया राशि के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के साधन के रूप में बनाया गया कोई अन्य श्रेष्ठ ब्याज शामिल है।

gg. " **सुरक्षा प्रदाता** " से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसने बकाया राशि सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में कोई सुरक्षा हित बनाया है या कोई सुरक्षा दस्तावेज निष्पादित, वितरित या जमा किया है।

2. ऋण

2.1. डीएमआई, उधारकर्ता के अनुरोध, अभ्यावेदन, वारंटियों, अनुबंधों और वचनबद्धताओं के आधार पर, जैसा कि इसमें और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित है, उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण उन शर्तों और नियमों पर उधार देने के लिए सहमत है, जो वित्तपोषण दस्तावेजों में पूरी तरह से निहित हैं ।

2.2. डीएमआई, मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट स्वीकृत ऋण को उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित करेगा, बशर्ते कि उधारकर्ता का सत्यापन पूरा हो जाए और डीएमआई द्वारा आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उसकी संतुष्टि के लिए जांच की जाए और यदि ऐसा सत्यापन संतोषजनक नहीं है, तो डीएमआई अपने पूर्ण विवेक पर स्वीकृत ऋण को रद्द करने का हकदार होगा ।

2.3. उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही उस पर माल और सेवा कर भी देना होगा, जिसे वितरित स्वीकृत ऋण से रखा जा सकता है, लेकिन उसे उधारकर्ता को वितरित किया गया माना जाएगा और उधारकर्ता तदनुसार संपूर्ण ऋण के लिए उत्तरदायी होगा।

2.4. उधारकर्ता अपने ऋण, बकाया राशि का विवरण देख सकते हैं और पुनर्भुगतान कर सकते हैं डीएमआई के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी।

2.5. ऋणी को कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान, बिना किसी दंड के, मूलधन और आनुपातिक वार्षिक ब्याज दर (एपीआर) का भुगतान करके वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा। कूलिंग ऑफ अवधि के बाद भी स्वीकृत ऋणी द्वारा जारी रखने के लिए , पूर्व-भुगतान केवल डीएमआई की पूर्व स्वीकृति से ही अनुमत होगा और डीएमआई द्वारा मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित शर्तों और पूर्व-भुगतान शुल्कों के अधीन होगा।

3. पुनर्भुगतान और ब्याज

3.1. उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार स्वीकृत ऋण की अवधि के दौरान प्रत्येक देय तिथि पर ईपीआई के माध्यम से बकाया स्वीकृत ऋण को उस पर ब्याज (यदि कोई हो) सहित चुकाएगा । ईपीआई की गणना डीएमआई द्वारा स्वीकृत ऋण और उस पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर देय ब्याज के परिशोधन के लिए आवश्यक के रूप में की जाएगी और मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार अधिकतम ईपीआई से अधिक नहीं होगी। ईपीआई केवल स्वीकृत ऋण और उस पर ब्याज के विरुद्ध बकाया मूलधन के लिए होगा और इसमें वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय कोई भी अतिदेय शुल्क या कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है। पहले ईपीआई की राशि और तिथि स्वीकृत ऋण के संवितरण की तिथि के आधार पर बदल सकती है और ऐसी संशोधित तिथि और राशि उधारकर्ता को ऐसे भुगतान के लिए देय तिथि से पहले सूचित कर दी जाएगी।

3.2. उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित अन्य सभी देय राशियों और शुल्कों का भी भुगतान करना होगा। डीएमआई के प्रति उधारकर्ता की देयता तभी समाप्त होगी जब ऋण खाते में बकाया राशि और सभी ब्याज एवं शुल्क (मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार) शून्य हो जाएँ।

3.3. स्वीकृत ऋण का पूर्व भुगतान उन शर्तों और पूर्व भुगतान प्रभारों के अधीन अनुमत होगा, जैसा कि डीएमआई द्वारा मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित किया गया है।

3.4. प्रत्येक ईपीआई और अन्य सभी बकाया (यदि कोई हो) का समय पर भुगतान अनुबंध का सार है।

3.5. वित्तीय दस्तावेज़ों में अन्यत्र उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, ईपीआई सहित सभी उधारकर्ता देय राशियाँ, उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को, डीएमआई द्वारा माँगे जाने पर, अपने विवेकानुसार और बिना किसी कारण बताए, देय होंगी। उधारकर्ता को ऐसी राशि, बिना किसी विलंब या आपत्ति के, ऐसी माँग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चुकानी होगी।

3.6. लागू ब्याज दर मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित अनुसार होगी। उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि अस्थिर ब्याज दर वाले ऋण के मामले में, अस्थिर ब्याज दर बेंचमार्क दर और स्प्रेड से जुड़ी होगी और बेंचमार्क दर या स्प्रेड में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप स्वीकृत ऋण पर लागू अस्थिर ब्याज दर भविष्य के आधार पर रीसेट हो जाएगी। डीएमआई अपने विवेकानुसार समय-समय पर बेंचमार्क दर या स्प्रेड की समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7. लागू फ्लोटिंग ब्याज दर (चाहे बेंचमार्क दर या स्प्रेड में परिवर्तन के कारण) में रीसेट के परिणामस्वरूप ईपीआई की राशि और/या संख्या और/या स्वीकृत ऋण की अवधि में परिवर्तन होगा, जैसा कि डीएमआई द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जाएगा और उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

3.8. बेंचमार्क दर या प्रसार में किसी भी परिवर्तन के मामले में, जिसके परिणामस्वरूप फ्लोटिंग ब्याज दर को रीसेट किया जाता है, उपरोक्त के आधार पर ईपीआई की संशोधित अनुसूची डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित की जाएगी ।

3.9. इसके अलावा, यदि फ्लोटिंग ब्याज दर को ऊपर दिए गए अनुसार रीसेट किया जाता है, तो उधारकर्ता के पास रूपांतरण शुल्क और डीएमआई द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के भुगतान के अधीन एक निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प होगा ।

3.10. 7 (सात) वर्षों से अधिक अवधि के लिए मूल रूप से निश्चित ब्याज दर पर प्रदान किए गए स्वीकृत ऋण के मामले में, ऋणदाता को स्वीकृत ऋण के संवितरण की तिथि से 7 वर्ष की समाप्ति पर लागू ब्याज दर को अस्थिर ब्याज दर में बदलने का अधिकार होगा। संवितरण की तिथि से 7 वर्ष पूरे होने से 90 (नब्बे) दिन पहले, ऋणदाता उधारकर्ता को तत्कालीन प्रचलित अस्थिर ब्याज दर और लागू रूपांतरण शुल्क के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा और उधारकर्ता को बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क के स्वीकृत ऋण का पूर्व भुगतान करने का विकल्प प्रदान करेगा। यदि उधारकर्ता 7 वर्ष की समाप्ति से पहले पूर्व भुगतान करने के ऐसे विकल्प का लाभ नहीं उठाता है, तो ऋणदाता को

लागू ब्याज दर को अस्थिर ब्याज दर में बदलने का अधिकार होगा।

3.11. ऋणकर्ता को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में किसी भी कानून के तहत किसी भी समय देय सभी शुल्क, उपकर और अन्य प्रकार के करों का भुगतान करना होगा, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में। ऋणकर्ता वित्तपोषण दस्तावेजों को लागू करने या ऋणों के संबंध में कोई भी वसूली कार्यवाही करने में डीएमआई द्वारा वहन की जाने वाली सभी देय राशियों और सभी लागतों, शुल्कों, लेवी आदि के लिए उत्तरदायी होगा। ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि यदि इस समझौते पर कोई स्टांप शुल्क लागू होता है तो ऋणकर्ता उसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि डीएमआई द्वारा पूर्वोक्त कोई भी शुल्क, शुल्क, कर और लागत वहन की जाती है, तो ये ऋणकर्ता से वसूल किए जाएँगे और भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति तक इन पर अतिदेय शुल्क लगेगा। ऋणकर्ता(ओं) द्वारा डीएमआई को भुगतान किए गए सभी शुल्क वापस नहीं किए जा सकते

3.12. **ऋणी द्वारा नियत तिथि पर ईपीआई के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक या इसमें निहित किसी भी भौतिक नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर, ऋणी से मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित दर पर अतिदेय शुल्क वसूला जाएगा । यह डीएमआई के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। साथ ही, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिदेय शुल्कों का भुगतान करने का दायित्व ऋणी को यह दावा करने का अधिकार नहीं देता कि नीचे उल्लिखित चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई है।** ऋणदाता **अतिदेय शुल्कों को पूंजीकृत नहीं करेगा, अर्थात, ऐसे अतिदेय शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।**

3.13. ब्याज और अन्य शुल्क की गणना 30/360 दिन की परिपाटी के आधार पर की जाएगी ।

3.14. यदि किसी भुगतान की देय तिथि कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान तुरंत अगले व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा।

3.15. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि लागू ब्याज दर, अतिदेय प्रभार, सेवा प्रभार और अन्य देय प्रभार तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने पर सहमति उसे उचित और स्वीकार्य है।

3.16. उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को किया गया कोई भी भुगतान आदेश में निम्नलिखित बकाया राशि के लिए विनियोजित किया जाएगा, अर्थात् :

a. लागत, शुल्क, खर्च, आकस्मिक शुल्क, और अन्य पैसा वह मई डीएमआई द्वारा ऋण के संबंध में व्यय किया गया है ;
b. अतिदेय प्रभार;
c. ब्याज; और
d. मूलधन का पुनर्भुगतान मात्रा का ऋण।

4. एनएसीएच और पीडीसी

4.1. ऋण लेने वाला, डीएमआई द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले अनुरोध के अनुसार, देय राशि के भुगतान के लिए ऋण लेने वाले के बैंक खाते के विरुद्ध आरबीआई द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा/राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) (डेबिट क्लियरिंग)/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग अधिदेश (सामूहिक रूप से " **अधिदेश** " के रूप में संदर्भित) प्रदान करेगा। ऐसा अधिदेश ऋण लेने वाले के ऐसे बैंक और खाते से निकाला जाएगा जो डीएमआई को स्वीकार्य हो। ऋण लेने वाला देय तिथियों/अधिदेश की पहली प्रस्तुति पर बिना चूके सभी भुगतानों का सम्मान करेगा। ऋण लेने वाले द्वारा प्रदान किए गए अधिदेश का उपयोग डीएमआई द्वारा ऋण लेने वाले के किसी भी बकाया की वसूली के लिए किया जा सकता है। ऋण लेने वाला इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऋण लेने वाले को अग्रिम सूचना देने या देने के साथ ही ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। ऋणी को अपने पूर्ण विवेकानुसार, समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपेक्षित ऋणी के बकाया के भुगतान के लिए निष्पादित अधिदेश और/या अन्य दस्तावेजों को तुरंत (और किसी भी स्थिति में 7 (सात) दिनों के भीतर) प्रतिस्थापित करना होगा। अधिदेश पंजीकरण की अस्वीकृति की स्थिति में, ऋणी को मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार अधिदेश अस्वीकृति शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

4.2. उधारकर्ता को डीएमआई के पास मुख्य तथ्य विवरण में बताई गई संख्या में पीडीसी भी जमा करने होंगे। उधारकर्ता को समय-समय पर, अपने विवेकानुसार, डीएमआई द्वारा आवश्यकतानुसार पीडीसी को तुरंत (और किसी भी स्थिति में 7 (सात) दिनों के भीतर) बदलना होगा ।

4.3. उधारकर्ता को हर समय उधारकर्ता को देय राशि का भुगतान संबंधित देय तिथियों पर करने के लिए, अपने बैंक खाते/खातों में पर्याप्त धनराशि रखनी होगी , जिसके विरुद्ध अधिदेश जारी किया गया है। उधारकर्ता उस बैंक खाते/खातों को बंद नहीं करेगा जिससे अधिदेश/पीडीसी जारी किए गए हैं, या अधिदेश/पीडीसी के अंतर्गत भुगतान रोकने या विलंबित करने के लिए बैंक या डीएमआई को निर्देश जारी या रद्द नहीं करेगा और डीएमआई ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है । ऐसे किसी भी निर्देश को भी चूक की घटना माना जाएगा।

4.4. उधारकर्ता द्वारा दिया गया अधिदेश उस अधिदेश की संबंधित तिथि तक वैध रहेगा और उधारकर्ता यह दावा नहीं करेगा कि उधारकर्ता द्वारा दिया गया अधिदेश या ऐसा कोई अन्य अधिदेश किसी भी कारण से अमान्य है। यदि मूल पीडीसी की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है, तो उधारकर्ता को तुरंत (और किसी भी स्थिति में 7 (सात) दिनों के भीतर) पीडीसी को नए पीडीसी से बदलना होगा।

4.5. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश/पीडीसी उधारकर्ता के बकाया के भुगतान हेतु स्वेच्छा से जारी किया गया है, न कि किसी भी उद्देश्य के लिए प्रतिभूति के रूप में। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी अधिदेश/पीडीसी का अनादर परक्राम्य लिखत अधिनियम , 1881/ भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। उधारकर्ता प्रत्येक अधिदेश/पीडीसी अनादर के लिए विलंब भुगतान शुल्क (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4.6. कोई भी विवाद या मतभेद, उधारकर्ता को किसी भी ईपीआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और डीएमआई को नियत तिथियों पर अधिदेश/पीडीसी प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

4.7. तिस पर भी अधिदेश जारी करने और पीडीसी जमा करने के बाद, ऋणी बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

4.8. इसके अतिरिक्त, डीएमआई चेक/ एनईएफटी/आरटीजीएस/भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भी भुगतान स्वीकार करेगा और उधारकर्ता अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक होने पर इन विकल्पों का उपयोग कर सकता है। हालाँकि, उधारकर्ता इस बात से सहमत और स्वीकार करता है कि अधिदेश के अलावा अन्य तरीकों से बकाया राशि का भुगतान करने की स्थिति में , लेन-देन के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और उधारकर्ता से वसूल किया जाएगा।

5. परिसंपत्ति वर्गीकरण (एसएमए/एनपीए वर्गीकरण तिथियों आदि के उदाहरण)

ऋणदाता उधारकर्ता को सूचित करता है कि, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार - आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 12 नवंबर, 2021 के स्पष्टीकरण, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, डीएमआई उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को, डिफ़ॉल्ट पर तुरंत, नीचे उल्लिखित वर्गीकरण के आधार पर विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए") के रूप में वर्गीकृत करके पहचानेगा :

"**अतिदेय तिथि" का** तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन उधारकर्ता के खातों को दिन की समाप्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

उदाहरण : यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की 15-मार्च-22 है और डीएमआई द्वारा इस तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उधारकर्ता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

ईपीआई नियत तिथि	**15-मार्च-22**	**देय तिथि से पहले के दिन (DPD)**	**-**
एपि अतिदेय	15-मार्च-22	0-30	एसएमए0
एपि अतिदेय (दिन के अंत तक प्राप्त नहीं)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
ईपीआई अभी भी लंबित है	14-मई-22	61-90	एसएमए2

ईपीआई अभी भी लंबित है	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए

वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

उदाहरण:

विवरण	**परिद्रश्य 1***	**परिदृश्य 2**
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईपीआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईपीआई	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
शेष अतिदेय ईपीआई	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, उधारकर्ता को एनपीए के रूप में रिपोर्ट किया जाता रहेगा।	मानक

*आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022 के संदर्भ में, परिदृश्य 1 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी **अपग्रेड किया जा सकता है** जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुकाया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।

टिप्पणी

i. एनपीए खातों की रिपोर्टिंग अब दैनिक आधार पर की जाएगी।

ii. यदि उधारकर्ता के पास डीएमआई से एक से अधिक ऋण हैं, तो सभी ऋणों से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का भुगतान करने पर ही ऋण खातों को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा।

iii. किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने का क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर समान प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, डीएमआई सभी उधारकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे ऋण चुकौती अनुसूची/मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित नियत तिथि के अनुसार अपना ईपीआई भुगतान करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार, जुर्माने से बचाव और टॉप-अप ऋण/ऑफ़र के लिए बेहतर पात्रता संभव होती है।

iv. हम सभी उधारकर्ताओं को ईपीआई का भुगतान करने के लिए https://portal.dmifinance.in/ पर लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।

6. सुरक्षा

6.1. उधारकर्ता यह वचन देता है कि बकाया राशि का भुगतान निम्नलिखित सुरक्षा हित के सृजन द्वारा सुरक्षित किया जाएगा :

a. मुख्य तथ्य विवरण में वर्णित संपत्ति पर डीएमआई के पक्ष में बंधक के माध्यम से पहला, अनन्य और निरंतर प्रभार

b. स्वीकृत ऋण और ब्याज की कुल राशि के लिए डीएमआई के पक्ष में एक मांग वचन पत्र का निष्पादन

c. डीएमआई के पक्ष में गारंटर से गारंटी

d. उधारकर्ता द्वारा जारी पीडीसी, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है; और

e. ऐसी कोई अतिरिक्त सुरक्षा जो डीएमआई द्वारा समय-समय पर यथोचित रूप से अपेक्षित हो।

6.2. ऋणी को डीएमआई के पक्ष में , ऐसी अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त प्रतिभूति हित सृजित करना होगा जो डीएमआई को किसी भौतिक प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, डीएमआई की संतुष्टि के लिए स्वीकार्य हों। यदि ऋणी ऐसा अतिरिक्त प्रतिभूति हित सृजित करने में विफल रहता है, तो इसे डिफ़ॉल्ट की घटना माना जाएगा। डीएमआई, डीएमआई द्वारा नियुक्त मूल्यांकक से संपत्ति का मूल्यांकन प्राप्त करने का हकदार होगा। डीएमआई, ऋणी को ऐसे मूल्यांकक से मूल्यांकन प्राप्त करने का भी हकदार होगा जिसे वह उचित समझे। ऐसे किसी भी मूल्यांकन से संबंधित शुल्क, लागत और व्यय ऋणी द्वारा वहन किए जाएँगे ।

6.3. उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को दी गई गारंटी (यदि लागू हो) सहित सभी प्रतिभूति (जो बनाई जा सकती है या बनाई जा सकती है) डीएमआई के पक्ष में एक सतत प्रतिभूति बनी रहेगी और उधारकर्ता द्वारा मध्यवर्ती भुगतान या उधारकर्ता द्वारा खातों के किसी भी निपटान द्वारा समाप्त नहीं की जाएगी और डीएमआई के लिए तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है और प्रतिभूति हित डीएमआई द्वारा स्पष्ट रूप से जारी नहीं कर दिया जाता है ।

6.4. ऋणी ने डीएमआई की संतुष्टि के लिए संपत्ति पर एक अच्छा और विक्रय योग्य स्वामित्व स्थापित कर लिया है/करेंगे। ऋणी पुष्टि करता है कि संपत्ति पर कोई पूर्व ग्रहणाधिकार नहीं है और यह किसी भी प्रकार के भार से मुक्त है ।

6.5. प्रतिभूति हित, समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा), विलयन, समामेलन, पुनर्निर्माण, प्रबंधन के अधिग्रहण, ऋणी के विघटन या राष्ट्रीयकरण से प्रभावित, क्षीण या समाप्त नहीं होगा ।

6.6. ऋणी को उपरोक्त प्रतिभूति हित के निर्माण और पूर्णता के लिए सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, संपत्ति के स्वामित्व विलेख डीएमआई के पास जमा करना , स्वामित्व विलेख जमा करने के साक्ष्य की घोषणा करना, सीईआरएसआई और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (यदि लागू हो) सहित संबंधित प्राधिकरण के पास सभी शुल्कों का पंजीकरण कराना, बीमा पॉलिसी पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना और डीएमआई की संतुष्टि के लिए उसका प्रमाण डीएमआई को सौंपना शामिल है। ऐसे दस्तावेज़ इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले या उसके समय डीएमआई को सौंपे जाने चाहिए।

6.7. ऋणी को, जब भी डीएमआई द्वारा अपेक्षित हो, संपत्ति के बारे में डीएमआई को पूर्ण विवरण देना होगा तथा समय-समय पर सभी विवरण, रिपोर्ट, रिटर्न, प्रमाण पत्र और सूचना प्रस्तुत करनी होगी और डीएमआई के पक्ष में संपत्ति पर सृजित सुरक्षा हित को प्रभावी करने के लिए डीएमआई द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेजों को निष्पादित करना होगा।

6.8. उधारकर्ता यह वचन देता है कि प्रतिभूति हित और सभी बिक्री प्राप्तियां, बीमा आय और उससे संबंधित सभी दस्तावेज हमेशा डीएमआई के आदेशानुसार उसके पास रहेंगे और डीएमआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनका निपटान किया जाएगा।

6.9. डीएमआई सभी बकाया राशि के निपटान और वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत सभी दायित्वों के निर्वहन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजों को उधारकर्ता को डीएमआई के ऐसे कार्यालय/शाखा में जारी करेगा, जैसा कि स्वीकृति पत्र में निर्धारित किया गया है।

7. सकारात्मक वाचाएं

7.1. उधारकर्ता को:

a. वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन और निष्पादन करना ;

b. संपूर्ण स्वीकृत ऋण का उपयोग केवल मुख्य तथ्य विवरण में बताए गए उद्देश्य के लिए ही करें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करें, और विशेष रूप से इसका उपयोग (i) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करें, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (ii) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण , सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (iii) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (iv) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है;

c. दस्तावेजों के अनुसार ईपीआई का भुगतान करना होगा ;

d. डीएमआई को सभी दस्तावेज़ तुरंत उपलब्ध कराएगा, जिनमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जिनकी डीएमआई को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। ऋणी डीएमआई को (क) किसी भी बैंक के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद करने और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है; और (ख) ऋणी के किसी भी आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/ग्राहक के साथ, जैसा डीएमआई आवश्यक समझे, जिसमें ऋणी की ऋण-योग्यता और वित्तपोषण दस्तावेज़ों के अनुपालन की निगरानी करना शामिल है ;

e. उधारकर्ता के विरुद्ध किसी मुकदमेबाजी या कानूनी कार्यवाही की सूचना तुरंत डीएमआई को देना;

f. भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करना ;

g. यदि उधारकर्ता एकमात्र स्वामित्व या साझेदारी वाला है, तो उधारकर्ता का एकमात्र स्वामी/साझेदार बकाया ऋण को ब्याज और अन्य बकाया राशि और शुल्कों सहित पूरी तरह से चुकाए बिना रोजगार या व्यवसाय या विदेश में दीर्घकालिक प्रवास के लिए भारत नहीं छोड़ेगा;

h. यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय से प्राप्त आय उस खाते में जमा की जाए जिससे डीएमआई को अधिदेश/पीडीसी जारी किए गए हैं;

i. 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना ;

j. ऋणदाता अपनी लागत पर संपत्ति को अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा और स्वीकृत ऋण की अवधि के दौरान उसमें सभी आवश्यक कार्रवाई, सुधार और रखरखाव करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उक्त संपत्ति का मूल्य कम न हो। ऋणदाता सभी लागू नियमों, विनियमों और उप-नियमों का पालन करेगा। संपत्ति के संबंध में किसी भी सहकारी समिति या संघ के साथ किसी भी प्रकार की देनदारी आदि के लिए उधारकर्ता को भुगतान नहीं करना होगा और संपत्ति के संबंध में रखरखाव और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। उधारकर्ता इस स्वीकृत ऋण और सुरक्षा हित की निरंतरता के दौरान हर समय विधिवत और समय पर किसी भी अधिरोपण, शुल्क और करों का भुगतान करेगा जो संपत्ति के संबंध में लागू कानून के तहत उधारकर्ता द्वारा वैध रूप से देय हो जाते हैं। इसके अलावा, उधारकर्ता संपत्ति के किसी भी हिस्से या उसके हिस्सों को लागू कानून के तहत उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी ऐसे अधिरोपण, शुल्क और करों के भुगतान से रोकेगा और समय पर सभी दावों का निर्वहन करेगा और सभी करों, शुल्कों और अधिरोपों का भुगतान करेगा जो लागू कानून द्वारा उधारकर्ता द्वारा वैध रूप से देय हैं और संपत्ति को प्रभावित करेंगे ;

k. उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास संपत्ति पर पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व है और संपत्ति पूरी तरह से भारमुक्त और किसी भी प्रकार की देयता से मुक्त होगी ;

l. ऋणी, जब तक उसकी देय राशि का कोई भाग डीएमआई को बकाया/देय है, तब तक संपत्ति का पूर्ण बीमा कराएगा और उसे अपने खर्चे पर बीमित रखेगा, और बीमा डीएमआई के पक्ष में या उसके लाभ के लिए हानि भुगतानकर्ता या लाभार्थी के रूप में उचित रूप से समर्थित होगा। संपत्ति के लिए ऐसा बीमा मानक व्यापक पैकेज पॉलिसी होगी जिसमें सभी व्यापक जोखिम शामिल होंगे, जिनमें भूकंप, दंगा, नागरिक

उपद्रव, बाढ़ और ऐसे अतिरिक्त जोखिम/दायित्व शामिल हैं, जिनसे संपत्ति सामान्य रूप से प्रभावित होती है। ऋणी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे संपत्ति के संबंध में कोई बीमा दावा सीमित, अमान्य या अमान्य करने योग्य हो जाए;

उधारकर्ता द्वारा ऐसी बीमा पॉलिसी प्राप्त करने और/या डीएमआई को उसका प्रमाण प्रस्तुत करने में किसी भी तरह की विफलता की स्थिति में, डीएमआई उधारकर्ता की लागत पर संपत्ति का बीमा कर सकता है (लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा)। यदि डीएमआई संपत्ति के बीमा के लिए/के लिए बीमा प्रीमियम, या कोई अन्य धनराशि का भुगतान करता है, तो उधारकर्ता डीएमआई द्वारा भुगतान की गई ऐसी सभी राशियों की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि उधारकर्ता डीएमआई द्वारा भुगतान की गई बीमा प्रीमियम की राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है, तो इसे उधारकर्ता की ओर से चूक माना जाएगा और डीएमआई अपने विवेक से पूरी बकाया राशि वापस मांग सकता है और उधारकर्ता डीएमआई द्वारा मांगी गई धनराशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। पूर्वोक्त के बावजूद, बीमा प्राप्त करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उधारकर्ता की है,

किसी भी कारण से संपत्ति को किसी भी प्रकार की हानि या क्षति होने की स्थिति में, किसी भी बीमा राशि पर पहला दावा डीएमआई का होगा, जिसे डीएमआई द्वारा उधारकर्ता की देय राशि के रूप में लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संपत्ति को किसी भी प्रकार की कुल हानि/क्षति की स्थिति में, यदि बीमा कंपनी द्वारा निपटाई गई दावा राशि उधारकर्ता की कुल बकाया राशि से कम है, तो उधारकर्ता को तुरंत डीएमआई को अपनी बकाया राशि की पूरी राशि का भुगतान करना होगा ;

डीएमआई अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत है और अपने विवेकाधिकार से उधारकर्ता की ओर से, उधारकर्ता के एकमात्र जोखिम और लागत पर कार्य करने के लिए, और सभी आवश्यक कदम उठाने, कार्रवाई करने और कार्यवाही करने के लिए हकदार है, जैसा कि डीएमआई उचित समझे (i) किसी भी बीमा के तहत या उससे संबंधित किसी भी विवाद को समायोजित करने, निपटाने, समझौता करने या मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए और इस तरह के समायोजन, निपटान, समझौता और इस तरह की मध्यस्थता पर किए गए किसी भी पुरस्कार उधारकर्ता पर वैध और बाध्यकारी होंगे, या (ii) ऐसे किसी भी बीमा के तहत या उसके तहत किए गए किसी भी दावे के तहत देय सभी धनराशि प्राप्त करने और उसके लिए एक वैध रसीद देने और इस तरह की आय को इसके नियमों के अनुसार लागू करने के लिए। उधारकर्ता डीएमआई के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा यदि डीएमआई बीमा दावों या कार्यवाही के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुनता है और/या इस आधार पर कि

m. उधारकर्ता को निम्नलिखित के बारे में तुरंत डीएमआई को लिखित सूचना देनी होगी: (i) संपत्ति को किसी भी कारण से होने वाली हानि या क्षति, (ii) उधारकर्ता और संपत्ति से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई मुकदमा या विवाद , (iii) भौतिक परिस्थितियां/घटना जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, और (iv) कार्यालय/निवास/व्यापार के स्थान के स्थान/पते में परिवर्तन या उधारकर्ता के व्यवसाय में कोई परिवर्तन/बंद होना;

n. ऋण लेने वाला व्यक्ति संपत्ति में किसी भी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन या संपत्ति के उपयोग के बारे में सूचित करेगा और उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, जो ऋण के लंबित रहने के दौरान किए जाने का प्रस्ताव हो सकता है ; और

o. ऋणी इस बात से सहमत है कि डीएमआई या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति या कोई भी नियामक, निरीक्षण के उद्देश्य से संपत्ति, उस परिसर तक, जहाँ से ऋणी कार्य करता है, और ऋणी की लेखा-बही तक निःशुल्क पहुँच प्राप्त करेगा। ऋणी, डीएमआई, उसके नियामक(ओं), डीएमआई द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षों, या उसके नियामक(ओं) द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए किए गए सभी लागतों और व्ययों की प्रतिपूर्ति करेगा।

8. नकारात्मक अनुबंध

8.1. उधारकर्ता को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए:

a. डीएमआई की लिखित सहमति के बिना संपत्ति पर किसी भी इमारत या संरचना (किसी भी अस्थायी संरचना को छोड़कर) या उससे जुड़े किसी भी फिक्स्चर या फिटिंग को गिराना या हटाना या संपत्ति में कोई भी भौतिक परिवर्तन या परिवर्धन करना, जो संपत्ति के रखरखाव के लिए सामान्य क्रम में नहीं है ;

b. संपत्ति से निपटने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी या समान दस्तावेज निष्पादित करना ;

c. डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति या उसके किसी भाग के उपयोग या कब्जे के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ कोई समझौता या व्यवस्था करना ;

d. संपत्ति के संबंध में कोई ऐसा कार्य करना जिसके कारण संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में लाइसेंस, परमिट, बीमा, रद्द और/या अवैध और/या निलंबित कर दिया जाए;

e. डीएमआई की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, ऋण वितरण के समय जिस संपत्ति का उपयोग किया जा रहा था, उसका उपयोग बदलना, या किसी अनधिकृत या अवैध उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग करना;

f. संपत्ति पर कोई मार्गाधिकार या कोई अन्य सुखाधिकार बनाएगा ;

g. किसी के लिए ज़मानत देना या किसी ऋण की अदायगी या किसी संपत्ति की खरीद मूल्य की गारंटी देना ;

h. डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उधारकर्ता के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन की अनुमति देना, जिससे उधारकर्ता का प्रभावी लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण किसी भी तरह से बदल जाएगा ;

i. डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना विलय, समामेलन, समझौता या पुनर्निर्माण की किसी योजना पर निर्णय लेना या उसमें प्रवेश करना ;

j. यदि किसी ईपीआई का भुगतान उसकी नियत तिथि पर नहीं किया जाता है तो वह अपने सदस्यों/भागीदारों को कोई लाभांश घोषित नहीं करेगा या कोई वितरण नहीं करेगा; और

k. अपने निदेशक मंडल या समकक्ष प्रबंधन निकाय में ऐसे व्यक्ति को शामिल करें जिसका नाम आरबीआई की जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों की सूची में हो और यदि ऐसा व्यक्ति उसके निदेशक मंडल में पाया जाता है तो वह उस व्यक्ति को अपने निदेशक मंडल से हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगा।

9. वारंटी और प्रतिनिधित्व

9.1. उधारकर्ता डीएमआई को निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट देता है :

a. ऋण आवेदन में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी और डीएमआई को प्रदान किया गया कोई भी अन्य दस्तावेज, चाहे वह उधारकर्ता की ऋण पात्रता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या नहीं, सत्य और सही है और किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है;

b. उधारकर्ता लागू कानूनों के अनुसार विधिवत संगठित और वैध रूप से स्थापित है और वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत इसके द्वारा घोषित अनुसार अपना व्यवसाय करने का हकदार है;

c. ऋणकर्ता सभी लागू कानूनों के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके तहत लेनदेन को निष्पादित करने और निष्पादित करने में सक्षम और हकदार है ;

d. ऋणी के पास वित्तपोषण दस्तावेज तैयार करने की पूर्ण क्षमता, शक्ति और प्राधिकार है और इस प्रकार निष्पादित और वितरित किए गए वित्तपोषण दस्तावेज ऋणी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे;

e. ऋणी द्वारा वित्तपोषण दस्तावेज़ों का निष्पादन और वितरण, और न ही ऋणी के किसी भी दायित्व का पालन या पालन, किसी भी कानून, क़ानून, नियम, आदेश, न्यास, समझौते या अन्य साधनों, व्यवस्था, दायित्व या कर्तव्य के साथ टकराव या उल्लंघन का कारण बनेगा, जिनसे ऋणी बाध्य है। ऋणी ने सभी लागू कानूनों का पालन किया है और करता रहेगा और उसने सभी संबंधित प्राधिकारियों से सभी आवश्यक लाइसेंस /प्राधिकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो वित्तपोषण दस्तावेज़ों की शर्तों के पालन और अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यक हैं ;

f. उधारकर्ता ने मुख्य तथ्य विवरण और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत ऋण को किसी तीसरे पक्ष

के दबाव/प्रभाव/जबरदस्ती के बिना प्राप्त करने के लिए सहमति दे दी है;

g. ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो डीएमआई के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उनके सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसके दायित्व को प्रभावित करेगी;

h. उधारकर्ता के पास संपत्ति का विपणन योग्य और अच्छा स्वामित्व है जिस पर उसने डीएमआई के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया है;

i. वित्तपोषण दस्तावेज़ों के प्रावधान, लागू कानून के अनुसार, डीएमआई के पक्ष में कानूनी, वैध और प्रवर्तनीय प्रतिभूति हित सृजित करने के लिए प्रभावी हैं। सभी आवश्यक और उचित अभिलेख और फाइलिंग सभी आवश्यक और उचित सार्वजनिक कार्यालयों में की जा चुकी हैं/की जाएँगी, और अन्य सभी आवश्यक और उचित कार्रवाई की जा चुकी है/की जाएगी, ताकि प्रत्येक ऐसे दस्तावेज़ द्वारा सृजित प्रतिभूति हित, सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित पर प्रथम प्राथमिकता वाला, पूर्ण प्रतिभूति हित बन सके;

j. सम्पूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग पर कोई बंधक, प्रभार, लिस पेंडेंस या ग्रहणाधिकार या अन्य भार या मार्ग, प्रकाश या जल या अन्य सुखाधिकार या समर्थन का अधिकार नहीं है ;

k. ऋणकर्ता किसी मुकदमे में पक्षकार नहीं है और ऋणकर्ता को ऐसे किसी तथ्य की जानकारी नहीं है जिससे ऋणकर्ता या प्रतिभूति के विरुद्ध ऐसे मुकदमे या भौतिक दावों को जन्म मिलने की संभावना हो। ऋणकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दिवालियापन या दिवालियेपन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है ;

l. यह कि उधारकर्ता को किसी दस्तावेज, निर्णय या कानूनी प्रक्रिया या अन्य शुल्क या संपत्ति के शीर्षक को प्रभावित करने वाले किसी अव्यक्त या प्रत्यक्ष दोष या संपत्ति में किसी भौतिक दोष के बारे में जानकारी नहीं है जो अज्ञात रह गया है और/या जो डीएमआई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है;

m. उधारकर्ता को किसी भी विनियामक/ सांविधिक प्राधिकरण और/या बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों और/या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि द्वारा चूककर्ताओं की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है।

n. चूक या भौतिक प्रतिकूल प्रभाव की कोई घटना घटित नहीं हुई है और/या अस्तित्व में है या जारी है; और

o. प्राधिकरण की किसी योजना में शामिल या प्रभावित नहीं है ;

9.2. इस अनुबंध में ऋणी के सभी अभ्यावेदन और वारंटियां इस अनुबंध की तिथि से प्रत्येक दिन ऋणी द्वारा दोहराई गई मानी जाएंगी, जब तक कि डी.एम.आई. को बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता है और ऋणी किसी भी दिन या किसी भी समय किसी भी अभ्यावेदन या वारंटियों के असत्य या गलत होने की स्थिति में डी.एम.आई. को तुरंत सूचित करेगा ।

9.3. https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर DMI की गोपनीयता नीति पढ़ ली है और उस पर अपनी सहमति दे दी है। ऋण लेने वाला स्वीकार करता है और ऋण देने और उसकी निगरानी करने, उसके पुनर्भुगतान और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुपालन के लिए, और DMI की व्यावसायिक आवश्यकताओं और गोपनीयता नीति में वर्णित किसी अन्य उद्देश्य या जिसके लिए ऋण लेने वाले ने किसी अन्य तरीके से अपनी सहमति प्रदान की है, के लिए ऋण लेने वाले द्वारा प्रदान की गई या DMI द्वारा अन्यथा प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग, भंडारण और प्रसंस्करण करने के लिए DMI को अपनी सहमति देता है। ऋण लेने वाला समझता है और सहमत है कि DMI, लागू कानून के अधीन, आवश्यकता के आधार पर या DMI की गोपनीयता नीति में दिए गए अनुसार या किसी वैधानिक/नियामक आवश्यकता के अनुसार अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी अन्य तृतीय पक्ष को ऐसी जानकारी का खुलासा कर सकता है।

10. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

10.1. निम्नलिखित कार्य/घटनाएं , ऋण के प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना मानी जाएंगी:

a. देय तिथि पर किसी भी बकाया राशि के भुगतान में कोई चूक (“ **डिफ़ॉल्ट की वित्तीय घटना** ”)

b. वित्तपोषण अनुबंध के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन

दस्तावेज़;

c. उधारकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी या गलत बयान या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना , जिससे ऋण देने के डीएमआई के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो ;

d. एकमात्र स्वामी की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता (यदि उधारकर्ता एकमात्र स्वामित्व वाला है);

e. किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी परिवर्तन सहित) का घटित होना, जो डीएमआई की एकमात्र और पूर्ण राय में भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें उधारकर्ता के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/रोक या उधारकर्ता द्वारा व्यवसाय की समाप्ति शामिल है।

f. संपत्ति या उसके किसी भाग की कोई गिरावट, विनाश, दुर्घटना, हानि;

g. भुगतान सहित निरंतर आधार पर संपत्ति का बीमा कराने या बीमा बनाए रखने में कोई चूक प्रीमियम;

h. डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति/अनुमोदन के बिना, संबंधित प्रासंगिक प्राधिकारी (जैसा लागू हो) के पास डीएमआई के पक्ष में दर्ज किए गए दृष्टिबंधक के समर्थन या पंजीकरण को हटाना, बदलना/हेरफेर करना।

i. उधारकर्ता किसी भी कर या शुल्क या अन्य अधिरोपण का भुगतान करने में विफल रहता है या समय-समय पर कानून के तहत संपत्ति के लिए आवश्यक किसी भी अन्य औपचारिकताओं का पालन करने में विफल रहता है

j. वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार सुरक्षा हित बनाने या पूर्ण करने में विफलता, जिसमें अधिदेश/पीडीसी जारी करने या प्रतिस्थापित करने में विफलता शामिल है

11. डिफ़ॉल्ट की घटना के परिणाम

11.1. डीएमआई का निर्णय कि चूक की घटना घटित हुई है या नहीं, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा ।

11.2. किसी भी डिफ़ॉल्ट की घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को ऋण के विरुद्ध सभी संवितरणों को रोकने, ऋण के संबंध में बकाया सभी राशियों को, चाहे देय हों या नहीं, तुरंत चुकौती योग्य घोषित करने का अधिकार होगा, लेकिन यह दायित्व नहीं होगा और उधारकर्ता द्वारा 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहने पर, डीएमआई अपने विवेकानुसार किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो किसी भी लागू कानून के तहत डीएमआई के लिए उपलब्ध हो सकता है, जिसमें किसी भी सुरक्षा/संपत्ति का कब्ज़ा लेना शामिल है जिस पर डीएमआई के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया गया है, और/या उधारकर्ता या उसकी संपत्ति के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है । पूर्वोक्त के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा ऐसे भुगतान की देय तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उधारकर्ता के बकाये का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, डीएमआई को अन्य बातों के साथ-साथ उसे गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने और क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियों को तदनुसार रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

11.3. किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज़ में निहित किसी भी बात के बावजूद, डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर, डीएमआई अपने पूर्ण विवेक पर उधारकर्ता की लागत और खर्च पर, आवश्यकतानुसार बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही/कार्रवाई/कदम शुरू कर सकता है और /या सुरक्षा हित को लागू कर सकता है । डीएमआई और न ही रिकवरी एजेंट संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जब तक कि यह डीएमआई के कब्जे में है और पूर्वोक्त के कारण होने वाली कोई भी लागत, खर्च और दावा पूरी तरह से उधारकर्ता के खाते में होगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि डीएमआई किसी भी तरह से राजस्व या व्यवसाय की हानि या कब्जा लेने से उत्पन्न किसी भी अन्य नुकसान के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। उधारकर्ता पूर्वोक्त के संबंध में डीएमआई या रिकवरी एजेंट के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

11.4. किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज़ में निहित किसी भी बात के बावजूद, डीएमआई अपने पूर्ण विवेक पर ऐसे सभी अधिकारों और उपायों का प्रयोग कर सकता है जो लागू कानूनों के तहत उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

12. सुरक्षा का कब्ज़ा और बिक्री

12.1. किसी चूक की स्थिति में, इस समझौते की किसी भी शर्त के तहत डीएमआई के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , डीएमआई को इस समझौते और लागू कानून के अनुसार संपत्ति का कब्ज़ा लेने का पूर्ण और अप्रतिबंधित अधिकार होगा।

12.2. उधारकर्ता सभी लागतों और खर्चों के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के विलंब शुल्क, पार्किंग शुल्क , टोइंग लागत, ब्रोकरेज, कानूनी खर्च (वकील की फीस सहित) शामिल हैं, जो डीएमआई द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग में खर्च किए जा सकते हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के प्रतिभूति की पुनः प्राप्ति, रखरखाव या बिक्री और बकाया राशि की वसूली शामिल है।

12.3. प्रतिभूति की बिक्री/निपटान से प्राप्त कोई भी राशि इस समझौते के अनुसार विनियोजित की जाएगी। ऋणी प्रतिभूति की ऐसी बिक्री/ प्राप्ति के परिणामस्वरूप शेष किसी भी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा , इस समझौते या कानून के तहत डीएमआई के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। दायित्वों से अधिक वसूली गई कोई भी राशि (बिना किसी सीमा के किसी भी व्यय सहित) ऋणी को वापस कर दी जाएगी।

13. त्याग

वित्तपोषण दस्तावेज़ों के अंतर्गत डीएमआई को प्राप्त किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय के प्रयोग में किसी भी प्रकार की देरी या चूक, ऐसे किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को क्षीण नहीं करेगी या उसे ऐसे किसी भी चूक के लिए छूट या किसी भी प्रकार की मौन स्वीकृति नहीं माना जाएगा। किसी भी चूक के संबंध में डीएमआई की कोई भी कार्रवाई या निष्क्रियता, या किसी भी चूक में उसकी मौन स्वीकृति, किसी अन्य चूक के संबंध में डीएमआई के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या क्षीण नहीं करेगी ।

14. प्रतिभूतिकरण और असाइनमेंट

ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि डीएमआई, ऋणकर्ता को सूचित किए बिना या उसके संदर्भ के बिना, स्वीकृत ऋण और सभी बकाया राशियों तथा वित्तपोषण दस्तावेजों और किसी भी प्रतिभूति (गारंटी/गारंटियों सहित) के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों को किसी भी तरीके से, पूर्णतः या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर, जो डीएमआई तय करे, बेचने, सौंपने, प्रतिभूतिकृत करने या हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार और प्राधिकार रखता है, जिसमें इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान न करने की स्थिति में समनुदेशिती/हस्तांतरिती की ओर से ऋणकर्ता, अतिरिक्त प्रतिभूति या गारंटर के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार डीएमआई के पास सुरक्षित रखना शामिल है। ऐसी कोई भी बिक्री, सौंपना, हस्तांतरण या प्रतिभूतिकरण ऋणकर्ता को बाध्य करेगा और ऐसे हस्तांतरण, सौंपने या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, ऋणकर्ता ऐसे समनुदेशिती या हस्तांतरक के प्रति वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने दायित्व का पालन करेगा और उसके लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, यदि डीएमआई द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो उधारकर्ता हस्तान्तरितकर्ता/समनुदेशिती के पक्ष में अधिदेश/पीडीसी को प्रतिस्थापित कर देगा।

डीएमआई की पूर्व लिखित अनुमति के बिना वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत लाभ या दायित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने/हस्तांतरित करने/असाइन करने या किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई तृतीय-पक्ष हित बनाने का अधिकार नहीं होगा ।

15. हानि से सुरक्षा

ऋणी डीएमआई और उसके निदेशकों, अधिकारियों, एजेंटों, कर्मचारियों और समनुदेशितियों को (i) ऋणी द्वारा वित्तपोषण दस्तावेज़ों की किसी भी शर्त के उल्लंघन, (ii) प्रतिभूति के कब्जे, संचालन, उपयोग/दुरुपयोग या बिक्री से उत्पन्न किसी भी तृतीय पक्ष की देयता सहित किसी भी देयता, या (iii) इस समझौते के तहत ऋणदाता द्वारा वित्तपोषण में पक्षकार होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, क्षति, लागत के लिए क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति रखने का वचन देता है। ऋणी डीएमआई द्वारा की गई पहली मांग पर, बिना किसी आपत्ति, आपत्ति, विवाद, विरोध के, डीएमआई द्वारा मांगी गई किसी भी राशि का तुरंत भुगतान करने का वचन देता है ।

16. शासन कानून, क्षेत्राधिकार और विवाद समाधान

सभी वित्तपोषण दस्तावेज़ भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। दिल्ली, भारत स्थित न्यायालयों को वित्तपोषण दस्तावेज़ों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवादों पर अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा (मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन, जो दिल्ली, भारत में भी संचालित की जाएगी)।

इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले या इनके निर्माण, अर्थ या प्रभाव से संबंधित या वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत पक्षों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित सभी विवादों, मतभेदों और/या दावों का निर्णय वेबन्याय प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म या हमारी वेबसाइट [https://www.dmifinance.in/wp-content/uploads/2025/05/Arbitration.pdf] पर सूचीबद्ध किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके मध्यस्थता नियमों ("नियमों") के अनुसार वर्चुअल रूप से किया जाएगा। पक्ष सहमत हैं कि मध्यस्थता नियमों के तहत नियुक्त मध्यस्थ(यों) के समक्ष होगी और इस प्रयोजन के लिए, समझौते में उपलब्ध, प्रदान किए गए या अन्यथा संदर्भित ईमेल पते और/या मोबाइल नंबरों पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अपने ईमेल पते और/या मोबाइल नंबर में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में ऐसी संस्था को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि मध्यस्थ(यों) की राय में मध्यस्थता कार्यवाही वर्चुअल रूप से संचालित नहीं की जा सकती है, तो कार्यवाही भौतिक रूप से आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और कार्यवाही मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29(बी) में निर्धारित फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत होगी। मध्यस्थता के अंतरिम निर्णयों सहित सभी संबंधित पक्ष अंतिम और बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थ/मध्यस्थ बिना कोई कारण बताए अपना निर्णय पारित कर सकते हैं।

वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित कोई भी बात ऋणदाता के अधिकारों, उपायों और उनके प्रयोग को सीमित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, जिसमें बिना किसी सीमा के वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 या बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993, या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या मध्यस्थ/न्यायाधिकरण/न्यायालय प्रक्रिया के माध्यम से शामिल है और ऐसे किसी भी मामले में, ऋणदाता इस खंड के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, वर्तमान खंड वित्तपोषण दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा ।

17. मिश्रित

17.1. डीएमआई द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान बनाए गए अभिलेख और खाते, वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत बकाया राशि के अस्तित्व और राशि का निर्णायक प्रमाण होंगे और डीएमआई द्वारा प्रस्तुत बकाया राशि का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उस पर बाध्यकारी होगा।

17.2. उधारकर्ता यह व्यक्त करता है, पहचानता है और स्वीकार करता है कि डीएमआई, स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक या एक से अधिक तृतीय पक्षों (" **सेवा प्रदाता** ") को नियुक्त करने का हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा, जैसा कि डीएमआई चुन सकता है और ऐसे तृतीय पक्ष को उधारकर्ता से संबंधित जानकारी के स्रोत, पहचान और सत्यापन, स्वीकृत ऋण के प्रशासन और निगरानी से संबंधित ऋण समझौतों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों को सौंप सकता है और नोटिस भेजने, उधारकर्ता से संपर्क करने, उधारकर्ता से नकद/चेक/ड्राफ्ट/अधिदेश प्राप्त करने सहित इससे जुड़े और इसके साथ प्रासंगिक सभी वैध कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को निष्पादित और निष्पादित कर सकता है। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, डीएमआई उधारकर्ता और स्वीकृत ऋण से संबंधित सभी आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी ऐसे तृतीय पक्षों को प्रकट करने का हकदार होगा सेवा प्रदाता को डीएमआई द्वारा ऋणी से देय किसी भी बकाया राशि की वसूली/कब्जा लेने के लिए वसूली एजेंट/संग्रह एजेंट/एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे वसूली एजेंट/एजेंसी/संग्रह एजेंट/एजेंसी का विवरण मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया जाएगा या डीएमआई द्वारा परिवर्तन या अद्यतन किए जाने पर ऋणी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

17.3. स्वीकृत ऋण को ब्याज, प्रभार, लागत आदि सहित चुकाने तथा वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों का पालन करने का दायित्व उधारकर्ताओं का होगा, यदि एक से अधिक उधारकर्ताओं ने संयुक्त रूप से ऋण के लिए आवेदन किया हो, तो यह दायित्व संयुक्त तथा पृथक होगा ।

17.4. उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता, ऋण, उधारकर्ता द्वारा की गई चूक यदि कोई हो, से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तीसरे पक्ष/एजेंसियों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है, जिन्हें डीएमआई स्वीकृत ऋण के संबंध में अपने अधिकारों और उपायों के प्रयोग के लिए और/या आरबीआई द्वारा

अधिकृत के रूप में प्रकट करना उचित और आवश्यक समझे, जिसमें क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी शामिल है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है और ऐसी जानकारी को डीएमआई/तीसरे पक्ष/क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी/ आरबीआई द्वारा उपयोग और संसाधित करने के लिए अधिकृत करता है, जैसा वे उचित समझें और लागू कानूनों के अनुसार करें। इसके अलावा, चूक की स्थिति में, डीएमआई और ऐसी एजेंसियों के पास उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों का नाम, जहां लागू हो, 'चूककर्ता' के रूप में उस तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा डीएमआई/क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी/आरबीआई/ ऋणी, डीएमआई को वर्तमान या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या प्रकट करने के लिए, और ऋणी और/या अन्य को इसके कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। इस खंड के प्रावधान अनुबंध की समाप्ति और ऋणी के बकाया के पुनर्भुगतान के बाद भी लागू रहेंगे ।

17.5. इस समझौते के तहत डीएमआई या उधारकर्ता(कों) को दी जाने वाली या दी जाने वाली कोई भी सूचना या अनुरोध लिखित रूप में दिया जाएगा। वित्तीय दस्तावेज़ों के संबंध में उधारकर्ता को दी जाने वाली कोई भी सूचना तभी वैध मानी जाएगी जब वह उधारकर्ता को दी जाए या पंजीकृत डाक द्वारा उधारकर्ता के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यावसायिक या निजी पते पर भेजी जाए या छोड़ी जाए। पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई ऐसी कोई भी सूचना, पोस्ट किए जाने के 48 घंटों के भीतर उधारकर्ता को प्राप्त हुई मानी जाएगी। डीएमआई को भेजी गई कोई भी सूचना तभी वैध मानी जाएगी जब वह डीएमआई द्वारा उसके ऊपर बताए गए पते पर प्राप्त की जाए ।

17.6. सुविधा के संबंध में उधारकर्ता की किसी भी शिकायत के लिए , वह मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित विवरण के माध्यम से डीएमआई से संपर्क कर सकता है।

(इस पृष्ठ का शेष भाग जानबूझकर खाली छोड़ा गया है)

अनुसूची I

क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण**
1.	फांसी की जगह	
2.	निष्पादन की तिथि	

3.	स्वीकृति पत्र संख्या और दिनांक	
4.	ऋण खाता सं.	
	गारंटर का विवरण	
5.	नाम	
6.	संविधान	□ मालिक □ साझेदारी □ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी □ एलएलपी □ व्यक्ति □ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
7.	पता	
	उधारकर्ता(ओं) का विवरण	
	उधार लेने वाला	
8.	नाम	
9.	संविधान	□ मालिक □ साझेदारी □ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी □ एलएलपी □ व्यक्ति □ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
10.	पता	
	सह-उधारकर्ता 1	
11।	नाम	
12.	संविधान	□ मालिक □ साझेदारी □ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी □ एलएलपी □ व्यक्ति □ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
13.	पता	
	सह-उधारकर्ता 2	
14.	नाम	
15.	संविधान	□ मालिक □ साझेदारी □ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी □ एलएलपी □ व्यक्ति □ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
16.	पता	